W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण सं0 निगरानी/टी.ए./7221/2011/नागौर

सुमेरचन्द पुत्र अमरचन्द लूणावत, जाति ओसवाल निवासी पांचलासिद्धा तहसील, खींवसर जिला नागौर।

...प्रार्थी

बनाम

1. पूनम गिरी पुत्र भैंर गिरी
2. कालू गिरी पुत्र भैंर गिरी
3. भीखगिरी पुत्र भैंर गिरी
   जाति गुंसाई सभी निवासीगण पांचलासिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर

...अप्रार्थीगण

4. खेतमल पुत्र सुगनचन्द जाति ओसवाल निवासी पांचलासिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर
5. अमरचन्द जैन पुत्र लालचन्द जैन, निवासी तिलक नगर, प्रथम भदासिया, जोधपुर।
6. मुगनाराम पुत्र जोगाराम भाम्बी निवासी पांचलासिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर।

...तर0अप्रार्थीगण

एकल–पीठ
श्री प्रियव्रत पंड्या, सदस्य

उपस्थितः
श्री भिंयाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री विरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 28 अगस्त, 2014

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2001 में पारित निर्णय दिनांक 30–9–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 सपठित धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम पांचलासिद्धा में मठ श्री महोदव जी की डोली भूमि साबिक खसरा नंबर 707 हाल खसरा नंबर 1462 रकबा 85 बीघा 16 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 660 हाल खसरा नंबर 1058/3162 रकबा 97 बीघा मोजा क्रमशः पींपलिया व मगराबास, जो पूर्व में ग्राम पांचलासिद्धा के नाम से जाना जाता था, में स्थित जमाबंदी संवत 2014 से 2017 के अनुसार दर्ज है। उक्त मठ श्री महोदव जी की पूजा अर्चना व देखभाल पहले हाल अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा मगनगिरी पुत्र शिवदान गिरी गुसांई करते थे उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता भैरगिरी व आज दिन हाल अप्रार्थी संख्या–1 से 3 करते है। उक्त आराजी बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने हाल प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध रेफरेंस प्रस्तुत किया। उक्त रेफरेंस का जवाब देते हुए हाल प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 से 6 ने जवाब के साथ धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 2–8–2011 प्रस्तुत कर कथन किया कि ऊपर वर्णित आराजी बाबत रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा रेफरेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अपर कलक्टर, नागौर ने निर्णय दिनांक 30–9–2011 द्वारा हाल अप्रार्थी संख्या– 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्री भैंरगिरी द्वारा विवादित आराजी का रजिस्टर्ड बेचाननामा जरिये प्रतिफल राशि प्राप्त कर हाल प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 6 को विक्रय किया गया है तथा विधिवत रूप से कब्जा संभला दिया गया है इसलिए विवादित आराजी के वे रिकार्डेड खातेदार हैं। हाल अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त आराजी को हड़पने की नीयत से झूठा रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी यदि मंदिर

मठ या डोली है तो रेफरेंस करने का एकमात्र अधिकार भूमि अधिकारी तहसीलदार, खींवसर को है न कि किसी अन्य प्राईवेट पक्षकार को। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को अस्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–9–2011 खारिज किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कथन है कि विवादित आराजी पर मठ श्री महादेव जी की मूर्ति स्थित है तथा मठ की सेवा अर्चना व देखभाल अप्रार्थीगण के पूर्वज करते रहे हैं एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा की जाती है। सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों की गलती से अथवा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विवादित भूमि अपने नाम करवाई है। अप्रार्थी के पिता व दादा अनपढ़ व्यक्ति थे इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं हुई। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से हाल प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया है। अतः निगरानी प्रार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय यथावत रखा जावे।

5. हमनें उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड देस्तावेज का परिशीलन किया।

6. वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि प्रार्थी पूनम गिरी वगैरह/ वर्तमान गैर–निगराकारन ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात पूर्व में मठ श्री महोदवजी वाके पाँचलासिद्धा तहसील खींवसर के नाम दर्ज थी, जो वर्तमान में अविधिक रूप से बेचान होकर अप्रार्थीगण/वर्तमान निगराकार के

पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। अतः उक्त भूमि को पुनः डोली बनाम मठ श्री महादेवजी के नाम दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा नोटिस जारी करने के उपरांत प्रार्थीगण पूनम गिरी वगैरह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह भूमि मंदिर मठ डोली आदि की कभी नहीं रही है और न ही सार्वजनिक रही है। पूनम गिरी वगैरह का इस भूमि पर कोई हित नहीं है तथा उन्होंने अभिलिखित खातेदारों के विरूद्ध प्राईवेट रेफरेंस पेश किया है जबकि राजकीय हित निहित होने पर रेफरेंस प्रस्तुत करने का एक मात्र अधिकार भूमिधारी तहसीलदार, खींवसर को था, ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर ने उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के उपरांत आक्षेपित आदेश दिनांक 30-9-2011 द्वारा प्रार्थीगण/ वर्तमान निगराकार के उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

7. निगरानी में प्रमुख विवादित बिन्दु यह है कि क्या न्यायालय जिला कलक्टर को रेफरेंस निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा केवल मात्र भूमिधारी तहसीलदार द्वारा ही रेफरेन्स प्रस्तुत किया जा सकता है ? उक्त विवादित बिन्दु के विनिश्चयन हेतु विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 में यह प्रावधान दिया गया है कि :-

> "Power to call for record and refer to the Board- The Collector may call for and examine the record of any case or proceeding decided by or pending before any revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order [or decree] passed and as to the regularity of the proceeding, and if he is of opinion that the order [or decree] passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with the case with his opinion thereon for the orders of the Board and

the Board shall, thereupon, pass such order as it thinks fir:"

9. इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में यह प्रावधान है कि :–

> **"Sec. 82- Power to call for records and proceedings and reference to State Government or Board-** The Settlement Commissioner or the Director of Land Records [or a Collector] may call for an examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed an as to the regularity of proceeding.
>
> and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with Settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;
>
> and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it think fit"

10. उपरोक्त विधि के प्रावधानों से स्पष्ट है कि न्यायालय जिला कलक्टर अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित अथवा लम्बित किसी भी वाद या कार्यवाही का अभिलेख, कार्यवाहियों की अनियमितता के बारे में स्वयं के समाधान के प्रयोजनार्थ मंगवा सकेगा तथा आवश्यक जांच उपरांत यदि वह उसे रद्द किया जाना अथवा परिवर्तित किया जाना आवश्यक समझे तो अपनी राय के साथ मण्डल के आदेशों के लिए निर्देश (Referance) कर सकेगा। उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि न्यायालय जिला कलक्टर उक्त धाराओं के तहत् कार्यवाही करते हुए कोई अन्तिम निर्णय पारित नहीं करता है अपितु अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के निर्णय एवं अनियमितता की जांच कर अपनी राय के साथ मण्डल को निर्देश हेतु प्रस्तुत करता है।

11. हमारी सुविचारित राय में न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित रेफरेंस केवल मात्र न्यायालय जिला कलक्टर की बाद जांच एवं पक्षकारों की सुनवाई आदि कार्यवाही उपरांत प्रस्तुत की गई उनकी केवल

मात्र राय है, जो कि निर्णित प्रकरण की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा निर्देश (Referance) के माध्यम से मण्डल को प्रस्तुत राय प्रकरण का अन्तिम विनिश्चयन नहीं होने से न तो अपील योग्य है न ही निगरानी के योग्य है। अतः न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा निर्देश (Referance) के माध्यम से मण्डल को प्रस्तुत राय की निगरानी इस न्यायालय के मत में मण्डल में पोषणीय नहीं है।

12. जहाँ तक निजी व्यक्ति द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय के निर्देश प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि निर्देश केवल मात्र भूमिधारी तहसीलदार ही प्रस्तुत कर सकता है। हमारी सुविचारित राय में यदि जिला कलक्टर को भूमिधारी तहसीलदार के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम अथवा किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा कोई अनियमितता की गई है अथवा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है तो वह उसकी सम्पूर्ण जांच एवं परीक्षण तथा पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए इस आशय का समाधान होने पर, वह मण्डल में अपनी राय के साथ निर्देश प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु इसके साथ ही हम यह भी आवश्यक समझते हैं कि न्यायालय जिला कलक्टर निर्देश (Referance) प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकरण की सम्पूर्ण जांच करे एवं प्रकरण में राज्य हित एवं सार्वजनिक हित निहित है, इसका भी परीक्षण किया जाना आवश्यक है तथा यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी अनियमितता की सूचना दी है अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तो इस तथ्य की भी जांच आवश्यक है कि यह विवाद निजी पक्षकारों के मध्य तो नहीं है। क्योंकि यदि निजी पक्षकारों के मध्य कोई विवाद है तो उसका उपचार राजस्व कानून में उपलब्ध है तथा ऐसे निजी पक्षकारानों के मध्य विवाद के निराकरण हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में विहित प्रावधानों का अवलम्बन लिया जाकर ही वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि निर्देश (Referance) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस प्रकरण का परीक्षण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि जिला कलक्टर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत् निर्देश (Referance) प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है तथा उनके द्वारा मण्डल में प्रस्तुत ऐसा कोई निर्देश (Referance) केवल मात्र उनकी राय है, जो कि अन्तिम विनिश्चयन अथवा निर्णित प्रकरण की परिभाषा में नहीं आता है एवं ऐसी राय के विरूद्ध अपील अथवा निगरानी मण्डल में पोषणीय नहीं है।

14. अतः यह निगरानी उपर्युक्त आधार पर सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर का आदेश दिनांक 30-9-2011 की पुष्टि की जाती है। पुनः अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में उपरोक्तानुसार प्रकरण में राज्य हित एवं सार्वजनिक हित सन्निहित होने तथा विवाद निजी पक्षकारों के मध्य होने के तथ्य की सम्पूर्ण जांच एवं परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त स्थितियों का विधि में विहित प्रावधानों के अनुरूप समाधान होने के उपरान्त आवश्यक होने पर निर्देश (Referance) मण्डल में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियव्रत पंड्या)
सदस्य